संख्याः 561/XXIV-3/11/02(168)05.

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनांकः 29 मार्च, 2011

विषयः **केन्द्र पुरोनिधानित "इन्फामेंशन एण्ड कम्यूनिकेशन टैक्नौलाजी इन स्कूल" (I.C.T.) योजनान्तर्गत प्रदेश के 500 विद्यालयों हेतु वर्ष 2010–11 में अनावर्तक अनुदान में धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः /7(8)/आई0सी0टी0/99722/2010–11 दिनांक 29–03–2001 के सम्बन्ध में तथा अनु सचिव स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संशाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक 28–03–2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में 500 विद्यालयों में BOOT Model के आधार पर केन्द्र पुरोनिधानित इन्फामेंशन एण्ड कम्यूनिकेशन टैक्नौलाजी इन स्कूल (I.C.T.) योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश के रूप में रु0 500.00 लाख के सापेक्ष राज्यांश रु0 166.67 लाख इस प्रकार कुल रु0 666.67 लाख (रूपये छः करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार मात्र) की धनराशि को शासनादेश संख्याः 1261/XXIV–3/10/02(16)10, दिनांकः 13 सितम्बर 2010 द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत आपके निर्वतन पर रखी गयी धनराशि रू0 1270.00 लाख में से नियमानुसार व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैंः

1. उक्त योजनान्तर्गत कम्प्यूटर/उपकरणों/सामग्री का क्रय भारत सरकार द्वारा अनुमन्य निर्धारित मानकों/दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा. अधिप्राप्ति नियमों का इसके अनुक्रम में नियत संगत औपचारिकता का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा.

2. कम्प्यूटरों का क्रय सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग के शासनादेश दिनांक 25–02–2008 तथा शासन द्वारा जारी किये गये अद्यतन दिशा निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाय.

3. फर्नीचर आदि का क्रय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 तथा शासन के विद्यमान नियमों, आदेशों एवं वित्त हस्त पुस्तिका/बजट मैनुअल का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा.

4. उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहां आवश्यक हो व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर लिया जाय. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाय.

5. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो.

क्रमशः.....2

6. मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा.

7. उक्त धनराशि को एकमुश्त आहरित कर बैंक खाते में जमा करते हुए नियमानुसार निर्धारित कार्यवाही के आधार पर व्यय किया जायेगा.

3. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202– सामान्य शिक्षा 02–माध्यमिक शिक्षा–800 अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0106–राजकीय माध्यमिक वि0 में आई.सी.टी. योजना– 42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 1224(P)XXVII(3)2010-11.दिनाँकः 29 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

/

(मनीषा पंवार)
सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्याः **561(1)/XXIV-3/11/02(168)05** तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव,सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड़ शासन।
6. अनु सचिव स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संशाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
7. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
8. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी /कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
9. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
10. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड सचिवालय।
13. बजट एवं राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर।
14. कम्प्यूटर सैल (वित्त विभाग) उत्तराखण्ड शासन।
15. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0पी0तिवारी)
अनु सचिव।